

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, 405 इन्द्रानगर, देहरादून।

(वि0अनु0शा0 / स0के0—अनुभाग)
देहरादून: दिनांक: ::अगस्त—2007

—: आदेश :—

मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा—42 की उप धारा—(3) में प्राविधान है कि “इस धारा (धारा—42) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी किसी कारबार परिसर या आवासीय स्थान में न तो प्रवेश किया जायेगा, न उसका निरीक्षण किया जायेगा और न उसकी तलाशी ली जायेगी जब तक कि कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत ज्वांइट कमिनर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाये।”

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत किसी कारबार परिसर या आवासीय स्थान में प्रवेश करने उसकी निरीक्षण किये जाने और तलाशी लिये जाने हेतु इस सम्बन्ध में जारी पूर्व के सभी आदेशों को अधिकमित करते हुये कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तराखण्ड सम्बन्धित अधिकारियों को प्राधिकृत किये जाने के लिये सम्बन्धित जोन के ज्वांइट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) को प्राधिकृत करते हैं।

17/७/2007
(एल0एम0पन्त)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिपत्र

पत्रांक 1502 /आयु० कर उत्तरां०/स०के०-अनु०/०७-०८/वाणिज्य कर/दै०दून

कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(स०के०-अनुभाग)

देहरादून:::दिनांक::: १५अगस्त, २००७

समस्त डिप्टी कमिशनर,वाणिज्य कर

समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर,वाणिज्य कर

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी श्रेणी-२

उत्तराखण्ड ।


कमिशनर वाणिज्य कर,उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिनांक 17-08-2007 को निम्न आदेश पारित किया गया है ।

"गूल्यबर्धित कर अधिनियम की धारा-42 की उप धारा-(3) में प्राविधान है कि "इस धारा (धारा-42) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी किसी कारबार परिसर या आवासीय स्थान में न तो प्रवेश किया जायेगा, न उसका निरीक्षण किया जायेगा और न उसकी तलाशी ली जायेगी जब तक कि कमिशनर या कमिशनर द्वारा प्राधिकृत ज्वाइन्ट कमिशनर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाये ।"

"उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत किसी कारबार परिसर या आवासीय स्थान में प्रवेश करने उसकी निरीक्षण किये जाने और तलाशी लिये जाने हेतु इस सम्बन्ध में जारी पूर्व के सभी आदेशों को अधिकमित करते हुये कमिशनर वाणिज्य कर उत्तराखण्ड सम्बन्धित अधिकारियों को प्राधिकृत किये जाने के लिये सम्बन्धित जोन के ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर(वि०अनु०शा०/प्रवर्तन) को प्राधिकृत करते हैं ।"

उक्त आदेश की छाया प्रति इस परिपत्र के पीछे संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।


18/08/2007


(सुरेश प्रकाश)

एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर

मुख्यालय, देहरादून ।

प्र०प०स० १५८^२ दिनांक उक्त ।

- प्रतिलिपि-१. एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़बाल जोन देहरादून/कुमांयु जोन रुद्रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
२. ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को उक्त आदेश की प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित कि वे आदेश की प्रति सुरक्षित रखें तथा परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ करवाकर अपने स्तर से अधिनस्थ समस्त अधिकारियों को वितरित कराना सुनिश्चित करें ।
३. ज्वाइन्ट कमिशनर(वि०अनु०शा०/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को उक्त आदेश की प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित कि वे आदेश की प्रति सुरक्षित रखें तथा परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ करवाकर अपने स्तर से अधिनस्थ समस्त अधिकारियों को वितरित कराना सुनिश्चित करें ।


18/08/2007

एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर

मुख्यालय, देहरादून ।

पत्रांक 1597/आयु० कर उत्तराख०/स०केन्द्र-अनु०/07-08/वाणिज्य कर/दै०दून

कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(स०केन्द्र-अनुभाग)

देहरादूनः:दिनांकः 26अगस्त, 2007

ज्वाइन्ट कमिशनर(वि०अनु०शा०/प्र०)वाणिज्य कर
कूमारी जोन रुद्रपुर ।

कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिनांक 17-08-2007 को
निम्न आदेश पारित किया गया है ।

"मूल्यबंधित कर अधिनियम की धारा-42 को उप धारा-(3) में प्राविधान है कि "इस धारा (धारा-42) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी किसी कारबार परिसर या आवासीय स्थान में न तो प्रवेश किया जायेगा, न उसका निरीक्षण किया जायेगा और न उसकी तलाशी ली जायेगी जब तक कि कमिशनर या कमिशनर द्वारा प्राधिकृत ज्वाइन्ट कमिशनर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाये ।"

"उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत किसी कारबार परिसर या आवासीय स्थान ने प्रवेश करने उसकी निरीक्षण किये जाने और तलाशी लिये जाने हेतु इस सम्बन्ध में जारी पूर्व के सभी आदेशों को अधिकृमित करते हुये कमिशनर वाणिज्य कर उत्तराखण्ड सम्बन्धित अधिकारियों को प्राधिकृत किये जाने के लिये सम्बन्धित जोन के ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर(वि०अनु०शा०/प्रवर्तन) को प्राधिकृत करते हैं ।"

उक्त आदेश की मूल प्रति इस परिपत्र के साथ संलग्न कर आपको स्थायी रिकार्ड हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक- आदेश दि० 17.08.07 मूल रूप में ।


(सुरेश प्रकाश)
20/08/2007

एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर

मुख्यालय, देहरादून ।

०८८
८०